न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–01, गोण्डा ।

पीठासीन–सूर्य प्रकाश सिंह (एच0जे0एस0)....................यू0पी0 6272

विशेष सत्र वाद संख्या–873/2021

CNR No.UPGD01004079-2021

उत्तर प्रदेश राज्य–––––––––––––––––––––––––––––––––– **अभियोजन**

प्रति

शिवबदल आयु करीब 30 वर्ष पुत्र लाल साहब, निवासी–मुण्ड़ेरवा कला, थाना कोतवाली देहात, जिला गोण्डा।

–––––––––––––**अभियुक्त**

अपराध संख्या–305/2021
धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट,
थाना–कोतवाली देहात, जिला गोण्डा।

निर्णय

1– प्रस्तुत विशेष सत्र वाद सं0–873/2021 अपराध संख्या–305/2021 अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना–कोतवाली देहात, जनपद–गोण्डा में अभियुक्त **शिवबदल** के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किये जाने के आधार पर संस्थित हुआ।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उ0नि0 संजीव कुमार द्वारा थाना कोतवाली देहात, जिला गोण्डा में इस आशय की फर्द दाखिल की गयी कि दिनांक 04.08.2021 को मैं उ0नि0 संजीव कुमार मय हमराह हे0का0 आनन्द सिंह, हे0का0 शिव सहाय वर्मा व का० दीपक चन्द्र के देखभाल क्षेत्र, जाँच प्रा०पत्र व पेण्डिग विवेचना में ग्राम बिरौरा मोहन से होते हुए गोण्डा की तरफ आ रहे थे जैसे ही हम लोग खिरौरा मोहन स्थित रेलवे क्रासिंग के पास पहुंचे कि सामने से एक व्यक्ति सायकिल से आता हुआ दिखाई दिया जिसके हैंडिल में एक झोला टंगा हुआ था जो हम पुलिस वालों को अचानक सामने से आता देखकर घबराकर सायकिल को पीछे मोड़ते समय लड़खड़ा कर सड़क के किनारे पटरी पर गिर गया कि हम पुलिस वालों को संदेह होने पर शीघ्रता से मौके पर ही हमराही कर्मचारीगण की मदद से पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो अपना नाम शिवबदल पुत्र लाल साहब नि० मुण्डेरवा कला थाना को० देहात जनपद गोण्डा उम्र करीब 28 वर्ष तथा यह भी बताया कि साहब मेरी सायकिल की हैडिल में जो झोला टंगा है इसमें गांजा है इसलिए आप लोगों को देखकर डर गया था इसलिए पीछे मुड़कर भागना चाहा किन्तु हड़बड़ाहट गिर गया कि

आप लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति को बताया गया कि धारा 50 एन.डी. पी.एस एक्ट में आपको अधिकार है कि आप की तालाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष कराई जाये तो उसने बताया कि साहब जब आप लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया है तो और मैंने आप लोगों को यह बता ही दिया है कि इस झोले में गांजा है तो मुझे किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समाने जाँच नहीं जाना है। मैं अपने विरूद्ध एक गवाह और नहीं बनाना चाहता हूँ। आप लोगों पर मुझे पूर्व विश्वास है मेरी तालाशी आप लोग ही ले लीजिए। पकड़े गये व्यक्ति की सहमति पर सहमति पत्र तैयार करके पकड़े गये व्यक्ति के समक्ष हम पुलिस वाले एक दूसरे की जमा तालाशी ले देकर इत्मिनान कराया गया कि हम पुलिस वालों के पास कोई आपतिजनक वस्तु नहीं है। तत्पश्चात पकड़े गये व्यक्ति की नियमानुसार जामा तालाशी ली गई तो सायकिल के हैंडिल में टंगे हुए एक झोले के अन्दर प्लास्टिक की काली पन्नी में अवैध राजा की गंध से हम पुलिस वालों को इत्मिनान हो गया गांजा बरामद हुआ। बरामद हुआ। बरामद शुदा गाजा कि यह गाजा ही है। पकड़े गये व्यक्ति से गांजा के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा अपनी गलती की माफी मांग रहा है। विवेचना किट से वाट मय यंत्र निकालकर बरामदशुदा गांजा का वजन किया गया तो बरामशुदा गांजा का कुल वजन 01 किलो 500 ग्राम पाया गया तथा बरामशुदा गांजा में से नमूना हेतु 100 ग्राम नमूना माल निकाला गया। बरामशुदा गांजा को उसी प्लास्टिक की पन्नी में रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा नमूना माल को एक अलग पन्नीं में रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। बरामद शुदा गांजा के साथ साथ बरामद सायकिल जिससे अवैध गांजे की परिवहन किया जा रहा है जो इस्तेमाली पुरानी साइकिल हीरो जेट रंग काला है, को कब्जा पुलिस में लिया गया। पकड़े गय व्यक्ति का यह कार्य अन्तर्गत धारा–8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट का दण्डनीय अपराध है कारण गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार समय 08.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजनों को अलग से हे0कां0 आनन्द सिंह द्वारा भेजवायी जा रही है। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया गया। आने जाने वाले लोगों को गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के डर से बिना नाम पता बताए हट बढ़ गए। तैयार कर कार्य की एक प्रति अभियुक्त को दी जा रही है।

3– उपरोक्त फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त शिवबदल के विरूद्ध अपराध संख्या–305/2021 अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की गयी। अन्वेषण के दौरान साक्ष्य संकलित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर उसके विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

4– अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर दिनांक 03.11.2021 को आरोप अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में विरचित किया गया अभियुक्त ने अपने ऊपर

लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

5– अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–1 उ0नि0 संजीव कुमार व पी0डब्लू0–02 हे0कां0 शिव सहाय वर्मा को परीक्षित कराया गया तथा साक्षी पी0डब्लू0–01 द्वारा सहमति पत्र को प्रदर्श क–1 व बरामदगी फर्द को प्रदर्श क–2 के रूप में प्रमाणित किया गया।

6– अभियोजन की ओर से परीक्षित पी0डब्लू0–1 उ0नि0 संजीव कुमार द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि घटना दिनांक–04.08.2021 की है मैं अपने हमराहियान के साथ देखभाल क्षेत्र जांच प्रा0 पत्र व पेण्डिंग विवेचना खिरौरा मोहन से गोण्डा के तरफ आ रहे थे जब खिरौरा मोहन रेलवे क्रासिंग के पास हम लोग पहुंचे, सामने से एक व्यक्ति साइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, जिसके साईकिल के हैण्डल में एक झोला टंगा हुआ था। हम पुलिस वालों को देखकर घबड़ाकर साइकिल पीछे मोड़ने लगा और लड़खड़ाकर सड़क के किनारे पटरी पर गिर गया। संदेह होने पर उस व्यक्ति को मौके पर ही हमराहियों के मदद से पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम शिवबदल बताया और बताया कि मेरे पास गांजा है। इसलिए आप लोगों को देखकर डरकर भागा था। पकड़े गए व्यक्ति को एन.डी.पी.एस. एक्ट में तलाशी के लिए दिए गए उसके अधिकार को बताते हुए कहा गया कि आपकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी तो मुल्जिम ने कहा कि आप लोगों ने पकड़ ही लिया है और मैंने आपको बता ही दिया है कि झोले में गांजा है, तो मुझे किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के सामने नहीं जाना है मैं अपने खिलाफ एक और गवाह नहीं बनाना चाहता हूं। आप लोगों पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ही मेरी तलाशी ले लें। अभियुक्त द्वारा तलाशी के लिए सहमति दिए जाने पर सहमति पत्र तैयार करके उस पर अभियुक्त का निशानी अंगूठा लगवाया गया सम्बन्धित सहमति पत्र पत्रावली में कागज सं0–4क/8 के रूप में मूल रूप से संलग्न है। यह वही सहमति पत्र है जिसे अभियुक्त ने तलाशी के दौरान तैयार करवाया है और उस पर अपना निशानी अंगूठा लगाया है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। जिसकी लिखावट मेरे हस्तलेख में है। हम पुलिस वालों ने आपस में जामा तलाशी लेकर इत्मिनान करके कि आपस में किसी के आपत्तिजनक वस्तु नहीं है। तत्पश्चात पकड़े गए व्यक्ति से नियमानुसार तलाशी ली गई। तो साइकिल के हैण्डल में टंगे हुए झोले में एक काली पन्नी के अन्दर गांजा बरामद हुआ। गांजा की गन्ध से हम पुलिस वालों को इत्मिनान हो गया गया कि गांजा ही है। पकड़े गए व्यक्ति से गांजा रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सका और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। बरामद गांजा का वजन किया गया तो कुल वजन 1 किलो 500 ग्राम पाया गया। बरामदशुदा गांजा में से 100 ग्राम गांजा नमूना हेतु निकाला गया। बरामद गांजे के साथ–साथ परिवहन हेतु प्रयुक्त साइकिल को जिसका रंग काला था। पुरानी साइकिल थी जो हीरो जेट कम्पनी नाम की थी को भी कब्जा पुलिस लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति का कार्य एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा–8/20 के तहत दण्डनीय अपराध है।

इस कारण गिरफ्तारी का कारण बताते हुए नियमानुसार समय 8.35 सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजन को हे0कां0 आनन्द सिंह के द्वारा भेजवाई गई। बरामदगी फर्द मौके पर लिखी गई जिसे लिखकर पढ़कर अभियुक्त को सुनाया गया और सर्व सम्बन्धित के आलामात बनवाए गए तथा तैयार शुदा फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गई। बरामदगी फर्द मेरे द्वारा मेरे हस्तलेख में मौके पर तैयार किया गया था। जो पत्रावली में कागज सं0–3क/5 लगायत 3क/6 है, मूल रूप से संलग्न है। जिसे मैं तस्दीक करता हूं, एवं फर्द पर बने अपने लेख व हस्ताक्षर को तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। बरामदशुदा माल न्यायालय पर पेश किया गया जिस पर मुकदमा का विवरण अंकित है तथा अभियुक्त शिवबदल का निशानी अंगूठा बना हुआ है। चारों तरफ से सर्वशील मोहर है न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, जिसे न्यायालय के आदेश से खोला गया यह वही माल है जो मेरे द्वारा 04.08.21 को उक्त अभियुक्त से बरामद किया था। जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर वस्तु प्रदर्श 01 डाला गया।

7– अभियोजन की ओर से परीक्षित पी0डब्लू0–2 हे0कां0 शिव सहाय वर्मा द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि दिनांक–04.08.21 को हे0कां0 के पद पर कोतवाली देहात गोण्डा में तैनात थ। उक्त तारीख को मैं उ.नि0 संजीव कुमार व उनके हमरहियान के साथ कार्य सरकार के ग्राम खिरौरा मोहन से गोण्डा के तरफ जा रहा था। जब हम लोग खिरौरा मोहन क्रांसिग पर पहुंचे तो अभियुक्त साइकिल से आता दिखाई दिया था, जिसके हैण्डिल में एक झोला टंगा था, हम पुलिस वालों को अचानक देखकर घबराकर साइकिल पीछे मोड़ते समय सड़क के किनारे लड़खड़ाकर गिर गया, जिसे हम लोगों ने शक होने पर मौके पर ही पकड़ लिया। अभियुक्त ने अपना नाम शिव बदल बताया और बताया था कि मेरी साइकिल के हैण्डिल में जो झोला टंगा है उसमें गांजा है। तब अभियुक्त को दरोगा जी ने अभियुक्त को बताया कि तुम्हारा यह अधिकार है कि तुम चाहो तो अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष दे सकते हो। तब अभियुक्त ने कहा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है मुझे तलाशी के लिए और कही नहीं जाना हैं आप ही मेरी जामा तलाशी ले लीजिए। तब तलाशी सहमति पत्र मौके पर दरोगा जी ने तैयार किया, जिस पर अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपनी निशानी अंगूठा लगाया था। तत्पश्चात अभियुक्त की जामा तलाशी ली गई थी। तो उसके साइकिल के हैण्डिल में टंगे हुए एक झोले के अन्दर प्लास्टिक के काली पन्नी मैं अवैध गांजा बरामद हुआ था, जिसे दरोगा जी ने मौके पर तौला था तो कुल वजन एक किलो 500 ग्राम गांजा पाया गया था। जिसमे से 100 ग्राम नमूना हेतु अलग निकालकर व शेष माल को उसी प्लास्टिक के पन्नी में रखकर सीलड सर्व मुहर कर नमूना मोहर मौके पर तैयार किया था। फर्द दरोगा जी ने मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाए थे। फर्द शामिल पत्रावली है, जिस पर मेरे भी हस्ताक्षर है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–2 पड़ा है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

8– दौरान विचारण अभियुक्त द्वारा अपराध संस्वीकृत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियुक्त का संस्वीकृत कथन समक्ष न्यायालय अभिलिखित किया गया जिसमें उसके द्वारा अभियोजन कथानक को सही बताते हुए अपराध की संस्वीकृत को स्वेच्छया किये जाने की बात कहते हुए कथित किया गया कि उसे कम से कम दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें वह भविष्य में ऐसा अपराध कारित नहीं करेगा।

9– प्रस्तुत मामले में उपर्युक्त वर्णित अभियोजन कथानक को अभियुक्त द्वारा अपने संस्वीकृत कथन में सही होना कहा गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी जा सके। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रतीत होता हो कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया आरोप पत्र निराधार हो। अतः आरोप पत्र की प्रस्तुति भी प्रमाणित होती है।

10– प्रस्तुत मामले में जिला कारागार गोण्डा से उक्त अपराध के सम्बन्ध में आख्या आहूत की गयी है जिसमें अभियुक्त शिवबदल द्वारा अपराध सं0–305/2021 अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत दिनांक–04.08.2021 से 30.11.2021 तक (करीब चार माह) जिला कारागार में निरूद्ध रहा हैं।

11– न्यायालय के अभिमत में इस मामले में अभियुक्त संस्वीकृत के आधार पर धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध कारित करने के मामले में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अभियुक्त समक्ष जेरे हिरासत उपस्थित है।

12– अभियुक्त शिवबदल के विरूद्ध विशेष सत्र वाद संख्या–873/2021, मु0अ0सं0–305/2021, अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना–कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा के अधीन लगाए गए आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

13– पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लन्च बाद पेश हो।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
J.O.Code-UP6272
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–1, गोण्डा।

दिनांक–30.07.2026

लन्चोपरान्त–

14– पत्रावली लन्चोपरान्त सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध शिवबदल मय अधिवक्ता उपस्थित है। दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष के विद्वान विशेष लोक अभियोजक एन0डी0पी0एस0 एक्ट उपस्थित।

15– उभय पक्ष को दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।

16– अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट

.द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषसिद्ध शिवबदल के कब्जे से कुल 1 किलो 500 ग्राम गांजा की बरामदगी की गयी है। दोषसिद्ध को अधिक से अधिक से दण्ड से दण्डित किया जाए।

17– दोषसिद्ध एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषसिद्ध एक गरीब परिवार का अकेला कमाने–खाने वाला व्यक्ति है, उसके अलावा उसके परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः दण्ड के बिन्दु पर उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिकथन करते हुए न्यूनतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

18– दोषसिद्ध अभियुक्त शिवबदल के विरूद्ध विशेष सत्र वाद संख्या–873/2021, मु0अ0सं0–305/2021, अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना–कोतवाली देहात, अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट में दौरान विचारण उनके द्वारा जेल में बिताई गई अवधि एवं मु0–2,000/– (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

19– दोषसिद्ध **शिवबदल** के विरूद्ध विशेष सत्र वाद संख्या–873/2021, मु0अ0सं0–305/2021, अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना–कोतवाली देहात, गोण्डा में दौरान विचारण उनके द्वारा जेल में बिताई गई अवधि (करीब चार माह) व मु0–2,000/–रूपये (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध अपराधी द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने पर वह सात दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

20– उक्त निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अपराधी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 404 के तहत निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जावे।

21– निर्णय की एक प्रति धारा 406 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा को प्रेषित की जाये।

22– बाद मियाद अपील, बरामदशुदा माल नियमानुसार विनष्ट किया जावे।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
J.O.Code-UP6272
दिनांक–30.07.2026 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–1, गोण्डा।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
J.O.Code-UP6272
दिनांक–30.07.2026 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–1, गोण्डा।

Digitally signed by SURYA PRAKASH SINGH
Date: 2026.07.30 17:00:46 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court